मुख्तारनामा अधिनियम, 1882

(1882 का अधिनियम संख्यांक 7)[1]

[24 फरवरी, 1882]

मुख्तारनामों से सम्बन्धित विधि का संशोधन करने के लिए अधिनियम

मुख्तारनामों से सम्बन्धित विधि का संशोधन करने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मुख्तारनामा अधिनियम, 1882 है;

स्थानीय विस्तार—इसका विस्तार [2][जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय] सम्पूर्ण भारत पर है;

प्रारंभ—और यह 1882 की मई के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा।

[3][**1क. परिभाषा**—इस अधिनियम में, "मुख्तारनामा" के अन्तर्गत ऐसी लिखत भी है जो किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को उस व्यक्ति की ओर से और उसके नाम से, जो उसका निष्पादन करता है, कार्य करने के लिए सशक्त करती है।]

2. मुख्तारनामे के अधीन निष्पादन—किसी मुख्तारनामे का आदाता, यदि वह ठीक समझता है तो, मुख्तारनामे के दाता के प्राधिकार से कोई [4]*** लिखत या बात अपने नाम और हस्ताक्षर से और अपनी मुद्रा से, जहां मुद्रा लगाना अपेक्षित है, कर सकता है या निष्पादित कर सकता है; और इस प्रकार निष्पादित और कृत प्रत्येक [4]*** लिखत और बात विधि में इस प्रकार प्रभावशील होगी मानो वह मुख्तारनामे के आदाता द्वारा उसके दाता के नाम में और हस्ताक्षर और मुद्रा से कृत या निष्पादित है।

यह धारा उन सभी मुख्तारनामों को लागू होती है जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व या पश्चात् निष्पादित लिखतों द्वारा सृजित किए गए हैं।

3. मृत्यु आदि की सूचना के बिना मुख्तारनामे के अधीन अटर्नी द्वारा किए गए संदायों का मान्य होना—मुख्तारनामे के अनुसरण में सद्भावपूर्वक संदाय या कार्य करने वाला कोई व्यक्ति उस संदाय या कार्य की बाबत इस कारण दायी नहीं होगा कि उस संदाय या कार्य के पहले, मुख्तारनामे का दाता मर गया है या [5]*** विकृतचित्त [5]*** या शोधक्षम हो गया है या उसने मुख्तारनामा प्रतिसंहृत कर लिया है, यदि मृत्यु [5]*** चित्तविकृति, [5]*** शोधक्षमता या प्रतिसंहरण का तथ्य संदाय या कार्य के समय उसे करने वाले व्यक्ति को ज्ञात नहीं था।

किन्तु यह धारा इस प्रकार संदत्त किसी धन में हितबद्ध किसी व्यक्ति के ऐसे धन पाने वाले के विरुद्ध किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी, और उस व्यक्ति को ऐसे पाने वाले के विरुद्ध वैसा ही उपचार प्राप्त होगा जैसा कि उसे संदाय करने वाले के विरुद्ध प्राप्त होता, यदि उसके द्वारा संदाय नहीं किया जाता।

यह धारा केवल उन्हीं संदायों और कार्यों को लागू होती है जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् किए गए हैं।

4. मुख्तारनामा सृजित करने वाली मूल लिखतों का जमा किया जाना—(क) मुख्तारनामा सृजित करने वाली लिखत, उसका निष्पादन शपथपत्र द्वारा, कानूनी घोषणा द्वारा या अन्य पर्याप्त साक्ष्य द्वारा सत्यापित करके, ऐसे शपथपत्र या घोषणा सहित, यदि कोई हो, उस उच्च न्यायालय [6][या जिला न्यायालय] में जमा की जा सकती है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर वह लिखत हो।

(ख) इस प्रकार जमा की गई लिखतों की एक पृथक् फाइल रखी जाएगी; और कोई भी व्यक्ति उस फाइल की जांच कर सकता है, और इस प्रकार जमा की गई प्रत्येक लिखत का निरीक्षण कर सकता है; और अनुरोध किए जाने पर उसे उसकी एक प्रमाणित प्रति दी जाएगी।

---

[1] दादरा और नागर हवेली (विधि) विनियम, 1963 (1963 का 6) की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा दादरा और नागर हवेली पर और पांडिचेरी (विधि विस्तारण) अधिनियम, 1968 (1968 का 26) द्वारा पांडिचेरी पर विस्तार किया गया।

[2] भाग ख राज्य (विधि) अधिनियम, 1951 (1951 का 3) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "भाग ख राज्यों के सिवाय" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] 1982 के अधिनियम सं० 55 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित।

[4] 1982 के अधिनियम सं० 55 की धारा 3 द्वारा "हस्तांतरणपत्र" शब्द का लोप किया गया।

[5] 1982 के अधिनियम सं० 55 की धारा 4 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया।

[6] 1982 के अधिनियम सं० 55 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित।

(ग) इस प्रकार जमा की गई किसी लिखत की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है और उसे प्रमाणित प्रति के रूप में स्टाम्पित या चिह्नित किया जा सकता है और इस प्रकार स्टाम्पित या चिह्नित कर दिए जाने पर वह प्रमाणित प्रति बन जाएगी और होगी।

(घ) इस प्रकार जमा की गई किसी लिखत की प्रमाणित प्रति, बिना अतिरिक्त सबूत के, लिखत की अन्तर्वस्तु का और उच्च न्यायालय [1][या जिला न्यायालय] में उसके जमा किए जाने का पर्याप्त साक्ष्य होगी।

(ङ) उच्च न्यायालय, समय-समय पर, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, और राज्य सरकार की सहमति से, खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन ली जाने वाली फीस विहित करने के लिए नियम बना सकता है।

[2]* * * * *

(छ) यह धारा मुख्तारनामे सृजित करने वाली लिखतों को लागू होती है, चाहे वे इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व निष्पादित की गई हों या चाहे उसके पश्चात्।

5. विवाहित स्त्री का मुख्तारनामा—[3][किसी विवाहित स्त्री को, जो वयस्क है] इस अधिनियम के आधार पर, किसी निर्वसीयती लिखत द्वारा अपनी ओर से कोई निर्वसीयती लिखत निष्पादित करने के या कोई अन्य करने के प्रयोजन के लिए जो वह स्वत: निष्पादित कर सकती हो या कर सकती हो, अपनी ओर से उसी प्रकार एक अटर्नी नियुक्त करने की शक्ति होगी [3][मानो वह अविवाहित है] और मुख्तारनामे को सृजित करने वाली लिखतों के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्ध उसे लागू होंगे।

यह धारा केवल उन्हीं लिखतों को लागू होती है जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् निष्पादित किए गए हैं।

6. [1886 के अधिनियम संख्यांक 28 की धारा 39 निरसित।] संशोधन अधिनियम, 1891 (1891 का 12) की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा निरसित।

———

[1] 1982 के अधिनियम सं० 55 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित।
[2] लोअर बर्मा कोर्ट्स एक्ट, 1900 के अधिनियम सं० 6 की धारा 48 और अनुसूची 2 द्वारा खण्ड (च) निरसित।
[3] 1982 के अधिनियम सं० 55 की धारा 6 द्वारा (22-10-1982 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।